

न्यायलय तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर

प्रार्थी

बनाम जगलाराम, मानाराम मोतीराम
कुमेशराम किं जगलाराम विशरराम

सरकार जरिये पटवारी: इबरु रंइ

धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत

मुकदमा संख्या- 4119

निर्णय दिनांक- 9/8/19

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपरिथत ।

मामले में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का इबरु रंइ ने निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम इबरु रंइ के ख. न. 920 रकबा 0.15 किस्म जे. गुरस्ता पर अनाधिकृत रूप से बिना इजाजत संवत् 2076 में जगलाराम विशरराम अतिक्रमण कर लिया है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान - राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूपा में नोटिस जरी किया गया। नोटिस के जबाब में अप्रार्थी उक्त भूमि पर अपने हक का ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी को उक्त भूमि से अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जाता है। तथा अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि आईन्दा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जावे। तथा उक्त भूमि का वार्षिक लगान रूपये 12/2 मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो वसूल हो।

तहसील राजस्व लेखाकार को वास्ते मां कायमी एंव सम्बन्धित पटवारी हल्का / भू अ नि को वसूली हेतु एंव बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/8/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली इजराय मे दर्ज हो।

तहसीलदार
ओसियां

तहसीलदार, ओसियां
जिला-जोधपुर